"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल 2013—चैत्र 27, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3.—यत:, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने संभागीय अथवा जिला स्तरीय स्थापना में भर्ती के वर्ष में उद्भूत, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करते हुए, अधिसूचना क्र. एफ. 7-26-93-एक-आ.प्र.-569, दिनांक 2 अगस्त, 1994 जारी की थी, जिसे अधिसूचना क्र. एफ 7-85-98 आ.प्र.-एफ, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 द्वारा और संशोधित किया गया था;

और यत:, राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की रिक्तियों के आरक्षण के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट कर राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील किया है;

अतएव, अधिसूचना क्र. एफ. 7-26-93-एक-आ.प्र.-569, दिनांक 2 अगस्त, 1994 एवं संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 7-85-98 आ.प्र.-एफ, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 को 29 नवम्बर, 2012 से भूतलक्षी प्रभाव से, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-19/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

New Raipur, the 12th April 2013

NOTIFICATION

No. F 13-19/2012/R.C./1-3—Whereas, the State Government, in exercise of the powers conferred by Clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jation Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), had issued Notification No. F. 7-26-93-I-RC-569, dated 2nd August, 1994, Specifying the Percentage of reservation of Vacancies of Class-III and Class-IV Post for the Persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classed, arising in a recruitment year in an establishment at the divisional or district level, which was further amended vide Notification No. F 7-85-98 RC/-F, dated 25 October, 2000;

And whereas, the State Government vide notification No. F 13-14/2009/R.C./1-3, dated 29th November, 2012 has specified the Percentage of reservation of vacancies of Class III and Class IV posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes with effect from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

Now therefore, notification No. F. 7-26-93-I-RC-569, dated 2nd August 1994, and amended Notification No. F 7-85-98 RC-F, dated 25 October, 2000 are hereby, repealed with retrospective effect from 29th November, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.